

not make any promises to the electorate." I want to know what the explanation is for having made these promises today after the code of conduct has been accepted by all.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI R. RAMAKRISHNAN): I will give my ruling. Some points of order have been made. Under Rule 251 of the Rules of Procedure of this House a Statement may be made by a Minister on a matter of public importance with the consent of the Chairman but no question shall be asked at the time the Statement is made. Therefore, whatever may be the morality of the thing, the Chair is not here to rule on that. The Minister is permitted to lay the Statement on the Table.

SHRI C. K. JAFFAR SHARIEF: Mr. Vice-Chairman, I beg to lay on the Table a Statement (in English and Hindi) regarding certain new rail lines/projects which have been taken up on a priority basis. [Placed in Library. See No. LT-4097/82].

STATEMENT OF BILLS PASSED DURING CXXI SESSION OF RAJYA SABHA

SABHA AND ASSENTED TO BY THE PRESIDENT

SHRI HARE KRUSHNA MALLICK (Orissa): On a point of order . . .

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI R. RAMAKRISHNAN): Just a minute. There is one more item. Secretary-General to lay on the Table a Statement . . .

SECRETARY-GENERAL: Sir, I beg to lay on the Table a statement in English and Hindi showing the Bills which were passed by both Houses of Parliament during the 121st Session of the Rajya Sabha and assented to by the President. [Placed in Library. See No. LT-4029/82].

REFERENCE TO THE ALLEGED INVOLVEMENT OF A CENTRAL MINISTER IN THE MURDER OF A JUDGE OF ALLAHABAD HIGH COURT

श्री रामेश्वर सिंह : श्रीमान, मेरा
प्वाइंट आफ आर्डर है।

उपसभाध्यक्ष (श्री आर० रामकृष्णन) :
क्या प्वाइंट आफ आर्डर है ?

श्री रामेश्वर सिंह : मेरा प्वाइंट
आफ आर्डर यह है कि यह मामला बहुत
गंभीर है। बहुत गंभीर स्थिति देश के
सामने और सदन के सामने है मैं उसकी
ओर ध्यान दिलाना चाहता हूँ। श्रीमान
पिछले दो महीनों में बराबर इस सरकार
ने कहा है कि अपोजीशन के लोग डकैतों
से मिल कर मुक्त में अराजकता की स्थिति
पैदा कर रहे हैं। श्रीमान, उपसभाध्यक्ष
महोदय, अभी इलाहाबाद में उत्तर प्रदेश
के मुख्य मंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह
के भाई चीफ जस्टिस की हत्या हुई . . .

(व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष (श्री आर० रामकृष्णन) :
प्वाइंट आफ आर्डर क्या है आपका ?

श्री रामेश्वर सिंह : वही मैं बतला
रहा हूँ। मुख्य मंत्री के भाई की हत्या
हुई, उनके भतीजे की हत्या हुई, हत्यारों
ने उनकी हत्या की और जो अखबारों में
आया है तथा जो सी० आई० डी० की
थोड़ी बहुत रिपोर्ट प्रकाशित हुई है उसमें
सेंट्रल गवर्नमेंट के एक मिनिस्टर हैं जो
उसमें इनवाल्व्ड हैं . . . (व्यवधान)

SHRI NARENDRA SINGH (Uttar
Pradesh): What is the point of order? There is
no point of order in it.

उपसभाध्यक्ष (श्री आर० रामकृष्णन) :
रामेश्वर सिंह जी आप बैठिये। किस पर
आपका प्वाइंट आफ आर्डर है ?

There is no point of order. You are just saying
something. You have to
give a notice for this.

श्री रामेश्वर सिंह : श्रीमान, हमारी
बात आप सुन लीजिये।

उपसभाध्यक्ष (श्री आर० रामकृष्णन) :
सुन रहा हूं लेकिन आप का प्वाइंट आफ
आर्डर किस पर है ?

श्री रामेश्वर सिंह : श्रीमान, मेरा
प्वाइंट आफ आर्डर यह है कि जब...

... (व्यवधान)

...

श्री रामेश्वर सिंह : सेंटर का मिनि-
स्टर का नाम इसमें आ जाता है। सेंट्रल
गवर्नमेंट का मतलब है कि सेंट्रल गवर्नमेंट
के अन्दर कोई मिनिस्टर डकैतों से साजिश
कर के चीफ मिनिस्टर के भाई की
हत्या करवा दे वह मिनिस्टरी में है तो
इसलिये सरकार यहां पर बयान दें मैं
सरकार से जानना चाहता हूं सरकार इस
बात की सफाई करे कि कौन मंत्री है
जिसका... (व्यवधान)

श्री संयद रहमत अली (आंध्र प्रदेश) :
यह प्वाइंट आफ आर्डर हो ही नहीं सकता

شری سید رحمت علی (آندھرا پردیش) :

یہ پانٹک آف آرڈر ہو نہیں سکتا۔

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI R. RAMAKRISHNAN): I heard you with patience. There is no point of order. If you want to give a special notice for proceedings of the House? special mention, you approach the Chairman.

इसमें कुछ प्वाइंट आफ आर्डर नहीं है,
आप बैठ जाइये।

श्री रामेश्वर सिंह : मैं आपके आदेश
का पालन करता हूं। मेरी बात आप सुन
लीजिये। मैं चाहता हूं कि सरकार...
(व्यवधान)

श्री संयद रहमत अली : वाइस चेयर-
मैन साहब, आपकी इजाजत के बगैर जो
कहा गया है उसको रिकार्ड न किया जाए।

شری سید رحمت علی :

چیئر مین صاحب - آپ کی اجازت کے
بغیر جو کہا گیا ہے اس کو ریکارڈ نہ
کیا جائے۔

श्री रामेश्वर सिंह : उपसभाध्यक्ष
महोदय, यह बात...

उपसभाध्यक्ष (श्री आर० रामकृष्णन):
बैठिये प्लीज,। यह कोई प्वाइंट आफ
आर्डर नहीं है।

श्री रामेश्वर सिंह : सेंट्रल गवर्नमेंट
का एक मिनिस्टर जो है डकैतों को प्रश्रय
देता है और डकैतों से उनकी हत्या कर-
वाता है तो यह जो आप कह रहे हैं कि
प्वाइंट आफ आर्डर का सवाल नहीं है यह
तो शुद्ध रूप से प्वाइंट आफ आर्डर का
सवाल है।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI R. RAMAKRISHNAN): We will go to the next subject. I have heard you with patience. Whatever you have said has

gone on record, if you continue like this, I will have to say that nothing will go on record. Otherwise, how am I to conduct the

proceedings of the House?

श्री रामेश्वर सिंह : ठीक है तो मेरा
इतना ही कहना है कि सरकार इस पर
अपनी स्थिति क्लीयर करे कि सेंट्रल
गवर्नमेंट का कौन मिनिस्टर है जिसने
डकैतों से मिल कर विश्वनाथ प्रताप सिंह
के भाई की हत्या कराने की साजिश की
है।